

डिकी मुकदमा इत्तादाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाबा दिवाणी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी-टोंक लोक अदालत केम्प-सांखना

उनवान

- श्रीमती गीता देवी पत्नि बाबूलाल जाति रेगर निवासी ग्राम बनेठा
- श्रीमती राजेश पत्नि गुलाबचन्द महावर जाति कोली निवासी कोलियों का मोहल्ला, कुम्हारों की चौकी, टोंक वादीगण-प्रार्थीगण

बनाम

- श्री रामा पुत्र जादुडा जाति कोली निवासी ग्राम सांखना
- तहसीलदार, टोंक

अप्रार्थीगण-प्रतिपक्षीगण

मुकदमा नम्बर- 35/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसाल कतई रुबरू डॉ० सूरज सिंह नेगी आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी टोंक व हाजरी वादीगण एवं मिनजामिन मुददई रुबरू प्रतिवादीगण मिनजामिन मुददायलह में हुकम दिया जाता है कि :-

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है तथा पुरानी तरमीम को निरस्त किया जाकर तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि उनकी मौका रिपोर्ट में अंकित पक्षकरान के मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार पुनः जांच कर तरमीम कर पालना से अवगत करावें। मौका रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

निजी ..... मुकलिंग ..... बाबत ..... खर्चा इस मुकदमें का मय सूद बगेराह .... फीसदी सालाना आज तारिख वसूलियत तक अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक 19 मई, 2017 को जारी की गई।

(डॉ० सूरज सिंह नेगी)

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी, टोंक

| मुददई               | रुपये | पैसे | मुददई               | टोंक (राज.) | पैसे |
|---------------------|-------|------|---------------------|-------------|------|
| स्टाम्प अर्जी दावा  | 00    | 00   | स्टाम्प अर्जी दावा  | 00          | 00   |
| स्टाम्प वकालतनामा   |       |      | स्टाम्प वकालतनामा   |             |      |
| स्टाम्प वजह सबूत    |       |      | स्टाम्प वजह सबूत    |             |      |
| महनताना वकील        |       |      | महनताना वकील        |             |      |
| खर्चा गवाहान        |       |      | खर्चा गवाहान        |             |      |
| फीस कमिशनर          |       |      | फीस कमिशनर          |             |      |
| बाबत ईजराय हुकमनामा |       |      | बाबत ईजराय हुकमनामा |             |      |
| मुतफरिक             |       |      | मुतफरिक             |             |      |

नोट :- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(डॉ० सूरज सिंह नेगी)

आर.ए.एस.  
उपखण्ड अधिकारी, टोंक  
टोंक (राज.)